



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-14102026-277149
CG-OR-E-14102026-277149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5402]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948

No. 5402]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

रैलवे मंत्रालय
पूर्व तट रेलवे (निर्माण)
अधिसूचना

भुवनेश्वर, 13 अक्तूबर, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत सूचना

का.आ. 5616(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (ए) की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 29 मई 2026, में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पूर्व तट रेलवे) की अधिसूचना, तारीख 25 जनवरी 2025 द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को ओड़ीशा राज्य के झारसुगुडा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, “झारसुगुडा से सासन तक (64 किमी) तक तीसरी और चौथी लाइन” के निष्पादन अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालना के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् “प्रगतिवादी” (ओड़ीआ- भूवनेस्वर संस्करण) और “द न्यू इंडियन एक्सप्रेस” (अंग्रेजी – भूवनेस्वर संस्करण) तारीख 13 जून 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्रप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की है की उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर एससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्रों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना “झारसुगुड़ा से सासन तक (64 किमी) तक तीसरी और चौथी लाइन” झारसुगुड़ा जिला ओड़ीशा राज्य के लिए अधिग्रहण किए जाने के लिए संरचना या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम : झारसुगुड़ा

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा/ प्लाट नं	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि का किसम	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	झारसुगुडा यु. नं. - 7 - सरबाहाल	466/3094	613	0.022	0.022	घरबारी एक	सुधीर कुमार मिश्र पि: नारायण मिश्र जाति: ब्राह्मण निवासी: निजगांव।
2			614	0.026	0.026	घरबारी एक	
3	झारसुगुडा यु. नं. - 7 - सरबाहाल	466/3093	613/8841	0.024	0.024	घरबारी एक	अनिल कुमार मिश्र पि: नारायण मिश्र जाति: ब्राह्मण निवासी: निजगांव।
4			614/8842	0.024	0.024	घरबारी एक	
कुल =				0.096	0.096		

[फा. सं. CE/CON/IV/BBS/JSG-SSN 3rd & 4th/Sarbahal/1st Phase/JSG/20E]

एच. अनंतरमन, मुख्य अभियंता (निर्माण -II)

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Coast Railway)

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 13th October, 2026.

Notice under Section 20E of the Railways Act, 1989

S.O. 5616(E).— whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (East Coast Railway, Construction Organization), Notification number No.412, dated the 25th January 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), Notification number No. 2581 dated the 29th May 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, “**3rd and 4th line from Jharsuguda to Sason (64 Km)**” in Jharsuguda District in the State of Odisha .

And whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers namely “Pragativadi” in Odiya (Bhubaneswar Edition), and “The New Indian Express” in English (Bhubaneswar Edition) Dated 13th June 2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20 D of the said Act.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project, namely, “**3rd and 4th line from Jharsuguda to Sason (64 Km)**” in Jharsuguda District in the State of Odisha.

Name of District: Jharsuguda

SI No.	Name of Village	Khata No.	Khasra/ Plot No.	Total Area (In Acre)	Area to be Acquired (In Acre)	Kisam of Land	Name of Tanents
1	JSG Unit No.- 7 - Sarbahal	466/3094	613	0.022	0.022	Gharabari Eka	Sudhir Kumar Mishra S/o: Narayana Mishra Caste: Brahman Res.: Nijagaon.
2			614	0.026	0.026	Gharabari Eka	
3	JSG Unit No.- 7 - Sarbahal	466/3093	613/8841	0.024	0.024	Gharabari Eka	Anil Kumar Mishra S/o: Narayana Mishra Caste: Brahman Res.: Nijagaon.
4			614/8842	0.024	0.024	Gharabari Eka	
Total =				0.096	0.096		

[F. No. CE/CON/IV/BBS/JSG-SSN 3rd & 4th/Sarbahal/1st Phase/JSG/20E]

H. ANANTHARAMAN, Chief Engineer (Con-II)